



csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटे
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)
CIN: U74899DL1963G-OI003913
केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm
10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001



मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12 / BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

No-CSF /10-04/MKTG /2019/

Dated-18.08.2020

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 वां किलोमीटर सिरसा रोड हिसार पर निम्न कृषि रक्षा रसायनों की कृषि उपयोग के लिए आवश्यकता है जिसके लिए दिनांक 01.09.2020 को को साँय 3 बजे तक निविदाएँ आमंत्रित की जाती है जो कि उसी दिन 4 बजे खोली जाएंगी। निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक निविदादाता को रु 20000/- (बीस हजार) बतौर धरोहर राशि फार्म के बैंक खाता संख्या 33957537351 भारतीय स्टेट बैंक IFSC code SBIN 0005700 में RTGS के माध्यम से जमा करवाना होगा जो कि कार्य समाप्ती के बाद बिना ब्याज के वापिस लोटा दिया जाएगा। सरकारी संस्था को धरोहर राशि जमा करवाने की छुट होगी। कृषि रक्षा रसायनों की सूची निम्न है। सभी निविदादाता कृषि रक्षा रसायन के सामने दर्शायी गई ब्रांड की दरें दें अन्य ब्रांड की दरें स्वीकार नहीं की जाएगी।

Sr.No	Name of Agrochemicals	Unit	Packing Size	Qty Required	Rate/Unit	Date of MFG & Date of Exp.	Name of Brand/ Name of Company
1	Emamectin Benzoate 5%SG	KG	1 kg	20.00			Cristle/ Sumitomo/
2	Indoxacarb 14.5%SC	Lit	liter	150.00Lit			Dupond/ FMC/ Gharda

निविदा की नियम व शर्तें

- 1 कृषि रसायन आईएसआई अथवा आईएसओ ब्राण्डेड मार्का होना चाहिए।
- 2 निविदा में रसायन का नाम, कम्पनी का नाम, आईएसआई, आईएसओ मार्क रसायन है का ब्यौरा लिखना अति आवश्यक है।
- 3 सभी रसायन की दर प्रति लीटर/किलोग्राम समस्त कर सहित देनी होगी।
- 4 कृषि रसायनों की समस्त आपूर्ति, आपूर्ति आदेश प्राप्ति के तुरन्त पश्चात 3-4 दिन में केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के गोदाम पर करनी होगी। अगर 10 दिन के उपरांत आपूर्ति की जाती है तो रसायनों की कुल मूल्य का 5 % **Late Delivery Charge** के रूप में पार्टी को किये जाने वाले बिलों के भुगतान में से वसूली की जायेगी।
- 5 आपूर्ति किये जाने वाले कृषि रसायनों की जांच मान्यता प्राप्त रसायनिक प्रयोगशाला में भेजकर कराई जायेगी जिसका नमूना केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार पर फार्म समिति व फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिया जायेगा एवं **जांच का खर्च सप्लायर द्वारा वहन किया जायेगा**। जांच में कृषि रसायनों के संतोष जनक पाये जाने पर ही बिल का भुगतान किया जायेगा। यदि कृषि रसायन जांच में अमानक पाया गया तो सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने स्वयं के खर्च पर वापिस उठाना होगा।
- 6 अपूर्ण निविदा होने पर निविदा मान्य नहीं होंगी।
- 7 निविदादाता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी नियम व शर्त फार्म को मान्य नहीं होगी।
- 8 रसायनों की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
- 9 रसायन की वैधता आपूर्ति तिथि से कम से कम 15 माह की होनी अनिवार्य है।

- 10 किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र हिसार होगा ।
- 11 किसी भी प्रकार का निविदा सम्बन्धी निर्णय लेने का पूर्ण अधिकारी फार्म निदेशक का होगा ।

सहायक प्रबन्धक उत्पादन